**प्रकीर्ण वाद संख्या** २२२ वर्ष २०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २२५ वर्ष २०१७)
मंगल सिंह बनाम चंद्र कुमार गंगवानी आदि

**०८.१२.२०२०**

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची मंगल सिंह द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा ₹ १५,८५,७०१ प्रतिकर धनराशि बैंक में जमा कर दी गयी है। उक्त जमाशुदा धनराशि में से याची को २५ प्रतिशत नकद व शेष धनराशि को एफ.डी.आर. में जमा किया जाना है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थी ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उसे धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. २२५ वर्ष २०१७ मंगल सिंह बनाम चन्द्र कुमार गंगवानी व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने शपथपत्र ४सी२ में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई स्थगन आदेश नहीं है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २०.१०.२०२० को ₹ १३,१६,१२९ मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से ७५ प्रतिशत राशि याची के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ३ वर्ष की एन्युटी के लिए निवेशित की जानी है तथा शेष २५ प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि प्रार्थी/याची को उसके बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक मोड से स्थानान्तरित किया जाना है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार नेफ्ट के माध्यम से दिनाँक २७.११.२०२० को पी.एन.बी. झाँसी में ₹ १५,८५,७०१ मय ब्याज के, यू.टी.आर. नम्बर के के बी के २०३३२४४८२६९४८व के के बी के २०३३२४४८२६६८से जमा किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में मय ब्याज ₹ **१५,८५,७०१** पी.एन.बी., झाँसी में प्रतिकर की धनराशि जमा हुई है, जिस धनराशि को प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में उल्लेख करते हुये उसे न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के अनुपालन में अपने बैंक खाते में जरिये इलैक्ट्रानिक मोड व एफ.डी.आर के माध्यम से दिलाये जाने की याचना की है। तदनुसार प्रार्थी का ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २२५ वर्ष २०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २२२ वर्ष २०२० मंगल सिंह आदि बनाम चन्द्र कुमार गंगवानी आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज को प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

| Applicant/ Petitioner | Amount in ₹ | +(%of) Interest Accrued on Deposited Amount | Mode of Disbursement | Bank Account Number | Bank | IFSC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mangal Singh | 1189276 | 75 | Annuity for 3 Years | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 1. Mangal Singh | 396425 | 25 | Elect. Mode RTGS/NEFT | 92352010010944 | Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi | SYNB0009235 |
| Total | **1585701** | 100 | | | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

UTR No. corrected on 04.01.2021
PO, MACT, Jhansi
UTR No. added vide order dated 21.12.2121
PO, MACT, Jhansi

04.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.21 15:59:16 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi